CIN: U40109RJ2000SGC016486

JPD-6/432

कार्यालय अध्यक्ष डिस्कॉम्स,
अजमेर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम।
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर– 5

F.703
क्रमांकः जेपीडी/अध्यक्ष/विशेषाधिकारी (ले.क.रा)/राजस्व/प्रे. 3525 जयपुर, दिनांक : 3.11.15

परिपत्र

कोटा एवं भरतपुर शहर के वर्ष 2014–15 की वितरण हानियों का स्वतंत्र ऊर्जा अंकेक्षकों की जाँच के दौरान यह देखा गया है कि आधिक्य राशि का तो समायोजन कर लिया जाता है, पर प्रायः विद्युत यूनिट का समायोजन नहीं किया जाता है। MS-14 द्वारा सहीं एवं नियमानुसार ऊर्जा उपभोग (विद्युत यूनिट) प्रेषित नहीं की गई। ओपन ऐसेस से सम्बन्धित ऊर्जा का (विद्युत यूनिट) समय पर सही समायोजन नहीं किया गया साथ ही अनुदानित श्रेणियों के उपभोक्ताओं (कृषि, बी.पी.एल. एवं लघु घरेलू) का प्रचलित टैरिफ के अनुसार राजस्व निर्धारण न कर मात्र उपभोक्ता द्वारा जमा करवाये जाने वाली दरों के अनुरूप राजस्व निर्धारण किया गया।

इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण क्रियाकलाप एवं नियमानुसार कार्य ना किया जाने के परिणाम स्वरूप वास्तविक वितरण हानियाँ परिलक्षित नहीं होती तथा एम.आई.एस. 3.1 की विभिन्न श्रेणियों की प्रति यूनिट ऊर्जा विक्रय दरें प्रचलित टैरिफ के अनुरूप न होकर असामान्य रूप से कम या अधिक (अविश्वसनीय) होती है एवं साथ ही निगम के राजस्व हानि की संभावना भी बनी रहती है। अतः राजस्व उपखण्डों के सहायक अभियन्ताओं एवं सहायक राजस्व अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालनार्थ निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैः–

1. सामान्यतया कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा ही त्रुटिपूर्ण बिलों को संशोधित किया जावे।
2. CB-4 एवं CB-15 द्वारा उपभोक्ता खातों में किये गये समायोजन में मदानुसार (निगम राशि, विद्युत शुल्क, जल संरक्षण उपकर एवं नगरीय उपकर आदि) राशियों के साथ ही सम्बन्धित ऊर्जा उपभोग (विद्युत यूनिट) का सही समायोजन सुनिश्चित किया जाये।

Ravi kumawat :-59

3. MS-14 द्वारा सही एवं नियमानुकूल ऊर्जा उपभोग ही प्रेषित किया जावे।
4. वृहत औद्योगिक एवं अन्य सम्बन्धित उपभोक्ताओं के खातों में "ओपन असेस" से सम्बन्धित ऊर्जा का समय पर एवं सही समायोजन किया जावे।
5. मानवीय गणना में अनुदानित श्रेणियों के उपभोक्ताओं (कृषि, बी.पी.एल. एवं लघु घरेलू) का प्रचलित टैरिफ के अनुसार राजस्व निर्धारण किया जावे एवं टैरिफ सब्सिडी से सम्बन्धित राशि को CB-12 में ट्रांजेक्शन कोड 51 द्वारा उपभोक्ता खाते में समायोजित किया जावे।

सभी सहायक अभियन्ता एवं सहायक राजस्व अधिकारी सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में प्रत्येक माह MS-14 के साथ प्रपत्र 'अ' में प्रमाण पत्र संलग्न करेंगें। तदनुसार अधिशाषी अभियन्ता अपने अधीन उपखण्डों के नियमित/आकस्मिक निरीक्षण के दौरान CB-4 एवं CB-15 से किये गये समायोजनाओं (राशि एवं विद्युत यूनिट) की दस प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच करेंगे एवं अपनी रिपोर्ट वृत्त के अधिक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे। वृत्त के अधिक्षण अभियन्ता एवं लेखाधिकारी उक्त रिपोर्ट पर नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।

सभी वृत्त लेखाधिकारियों द्वारा एम. आई. एस. 3.1 की विभिन्न श्रेणियों की प्रतियूनिट ऊर्जा विक्रय दरों की गहनता से जांच की जायेगी एवं सभी उपखण्डों में इन दरों को प्रचलित टैरिफ के अनुरूप ही मेन्टेन रखे जाने हेतु सभी संभव प्रयास किये जायेंगे एवं इन आदेशों की अनुपालना में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Ravi kumawat :-60

प्रपत्र – 'अ'

प्रमाणपत्र – MIS 3.1

उपखण्ड का नाम :–

माह :–

यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. CB-4 एवं CB-15 द्वारा उपभोक्ता खातों में किये गये समायोजन में मदानुदसार (निगम राशि, विद्युत शुल्क, जल संरक्षण उपकर एवं नगरीय उपकर आदि) राशियों के साथ ही सम्बन्धित ऊर्जा उपभोग (विद्युत यूनिट) का सही समायोजन भी अनिवार्य रूप से किया गया है।
2. MS-14 द्वारा सही एवं नियमानुसार ऊर्जा उपभोग (विद्युत यूनिट) ही प्रेषित की गई है।
3. वृहत औद्योगिक एवं अन्य सम्बन्धित उपभोक्ताओं के खातों में "ओपन असेस" से सम्बन्धित ऊर्जा (विद्युत यूनिट) का समय पर एवं सही समायोजन किया गया है।
4. मानवीय गणना में अनुदानित श्रेणियों के उपभोक्ताओं (कृषि, बी.पी.एल. एवं लघु घरेलू) का प्रचलित टैरिफ के अनुसार राजस्व निर्धारण किया जावे एवं टैरिफ सब्सिडी से सम्बन्धित राशि को CB-12 में ट्रांजेक्शन कोड 51 द्वारा उपभोक्ता खाते में समायोजित किया गया है।

सहायक अभियन्ता (   )
जयपुर डिस्कॉम

सहायक राजस्व अधिकारी
जयपुर डिस्कॉम

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. प्रबंध निदेशक, अजमेर / जोधपुर वि. वि. नि. लिमिटेड, अजमेर / जोधपुर।
2. निदेशक वित्त, अजमेर / जोधपुर वि. वि. नि. लिमिटेड, अजमेर / जोधपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर / भरतपुर / कोटा।
4. मुख्य लेखाधिकारी (आअ / एफएम / नियंत्रण) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड.......................
   उपरोक्त परिपत्र को उनके अधीनस्थ अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की जानकारी में लाना सुनिश्चित करें।
6. प्रावेधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक / निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक (वित्त) जयपुर डिस्कॉम जयपुर।

विशेषाधिकारी (लेकरा)

Ravi kumawat :-61